

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 485 जयपुर/2004-2005

यह प्रमाणित किया जाता है कि विजय सैन्ड्स
एजुकेशन सोसिटी, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 07 माह अगस्त सन दो हजार चार
को जयपुर में किया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर
रजिस्ट्रार संस्थाएँ

